429
सं0– ~~1604~~/उन्तीस(2)/2011–2(120पे0)/2009

प्रेषक,

सुरेन्द्र सिंह रावत,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रभारी प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
देहरादून।

पेयजल अनुभाग–2 **देहरादूनः दिनांकः 28 मार्च, 2011**

विषयः वित्तीय वर्ष 2010–11 में राज्य सैक्टर के अन्तर्गत गंगा यमुना एवं सहायक नदियों को प्रदूषण मुक्त करने के अन्तर्गत श्रीनगर जलोत्सारण योजनाओं का संचालन एवं रखरखाव हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः 400/उन्तीस(2)/10–2(120पे0)/2009 दिनांक 27–03–2010 एवं आपके पत्र संख्या 2509/नियो0 अनु0/धना0 प्रस्ताव/103 दिनांक 15–11–2010 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सैक्टर के अन्तर्गत गंगा यमुना एवं सहायक नदियों को प्रदूषण मुक्त करने की मद में वित्तीय वर्ष 2010–11 में श्रीनगर जलोत्सारण योजनाओं का संचालन एवं रखरखाव के क्रियान्वयन हेतु पूर्व अवमुक्त धनराशि के पूर्ण उपयोग के पश्चात् अवशेष कार्यो के रख–रखाव हेतु रू0 20.00 लाख संगत मद से एवं रूपये 18.51 लाख की धनराशि संलग्न–बी.एम.–15 में उल्लिखित विवरणानुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से स्थानान्तरित कर अर्थात् कुल रूपये 38.51 लाख के व्यय की स्वीकृति निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अनुसार किये जाने हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

1– उक्त धनराशि प्रभारी प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षर युक्त बिल देहरादून कोषागार में प्रस्तुत करके इसी वित्तीय वर्ष में आहरित की जायेगी। आहरण से सम्बन्धित बिल बाउचर संख्या एवं दिनांक की सूचना शासन एवं महालेखाकार को आहरण के तुरन्त बाद उपलब्ध करायी जायेगी।

2– स्वीकृत की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में करते हुए योजना के वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन को प्रस्तुत किया जाय।

3– कराये जाने वाले कार्यो पर वित्त(वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 के शासनादेश संख्या 163/XXVII(7)/2007, दिनांक 22–05–2008 के अनुसार सेन्टेंज प्रभार अनुमन्य होगा।

4– व्यय करने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का पालन कड़ाई से किया जाय।

5– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है। स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

6– कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण ऐजेन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

7– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य को प्रारम्भ न किया जाय।

8– एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

क्रमश....2

9– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों का तथा जो दरें शिडयूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई है, की स्वीकृति नियमानुसार संबंधित अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन कराना आवश्यक होगा तदोपरान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी।

10– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निमार्ण विभाग/निगम द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

11– कार्य कराने से पूर्व स्थल का भलीभॉति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भू–गर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल का चयन आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनरूप किया जाय।

12– आगणन में जिन मदों हेतु जो धनराशि स्वीकृत की गई है उसी मद पर व्यय किया जाय एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

13– निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री का किसी प्रयोगशाला में परीक्षण करा ली जाय तथा उपयुक्त पाई जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

14– मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन के शासनोदश संख्याः 2047/XIV– 219(2006) दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य करते समय कढ़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

15– **उपर्युक्त स्वीकृत रूपये 38.51 लाख का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के लेखानुदान संख्या–13 के अंतर्गत लेखाशीर्षक 2215–जलापूर्ति तथा सफाई –02–मल निकास एवं सफाई –आयोजनागत– 106–वायु एवं जल प्रदूषण का निवारण–05–गंगा यमुना एवं सहायक नदियों को प्रदूषण मुक्त करना (2215–01–102–05से स्थानान्तरित)–00–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता के नामे' डाला जायेगा ।**

16– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः 674/XXVII(2)/2009, दिनांक 28 मार्च 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

संलग्नक–यथोक्त

भवदीय,

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
अपर सचिव

पृ0सं0 429(1) /उन्तीस(2)/11–2(120पे0)/~~2010~~ 2009 तद दिनांक

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मा0 पेयजल मंत्री को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. स्टाफ ऑफिसर–मुख्य सचिव, को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. मण्डलायुक्त, गढ़वाल।
5. निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून।
6. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग–2/वित्त(बजट सैल)/राज्य योजना आयोग उत्तराखण्ड।
8. जिलाधिकारी, देहरादून।
9. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
10. प्रभारी मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान देहरादून।
11. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड पेयजल निगम।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(नवीन सिंह तड़ागी)
उप सचिव

बी0एम0–15 पुनर्विनियोग–2010–11

नियन्त्रक अधिकारीः–प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम।
प्रशासनिक विभागः– पेयजल विभाग, उत्तराखण्ड शासन ।

आयोजनागत

(रू0 हजार में)

प्राविधान तथा लेखाशीर्षक	मानक मद्वार अध्यावधिक स्थिति	वित्तीय वर्ष के अवशेष अवधि अनुमानित व्यय	अवशेष(सरप्लस)	लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है	पुनर्विनयोग के बाद स्तम्भ–5 की कुल धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ–1 में अवशैष धनराशि।	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
2215–जलापूर्ति तथा सफाई				2215–जलपूर्ति तथा सफाई			(क) आवश्यकता न होने के कारण (ख) परिव्यय के विपरीत बजट प्राविधान कम होने के कारण।
01–जलपूर्ति–आयोजनागत				02–मल निकासी एवं सफाई–आयोजनागत			
102–ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम				106–वायु एवं जल प्रदूषण का निवारण			
08– गंगा नदी में प्रदूषण नियंत्रण तथा संरक्षण कार्य 00–				00– 05– गंगा यमुना एवं सहायक नदियों को प्रदूषण मुक्त करना (2215–01–102–05 से स्थानान्तरित)			
20–सहायक अनुदान/अंशदान राजसहायता 50000	–	–	1851 (क)	20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 1851(ख)	3851	48149	
योगः– 50000	–	–	1851	1851	3851	48149	

प्रमाणित किया जाता है कि पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के परिच्छेद 150,151,155,156 में उल्लिखित सीमाओं का उल्लधन नही होता है ।

(नवीन सिंह तड़ागी)
उप सचिव

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–2
संख्याः 674 (क) XXVII-(2) /2010
देहरादून : दिनांकः 18 मार्च 2011

पुर्नविनियोग स्वीकृत
ह/
(एम0सी0जोशी)
अपर सचिव वित्त

सेवा में

महालेखाकार,
उत्तराखण्ड।

संख्या 429 (क)/उन्तीस/10–2–(120पे0)/2009, तद दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–
1–कोषाधिकारी, देहरादून । 2– वित्त अनुभाग–2
3–जिलाधिकारी, देहरादून। 4– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड।

आज्ञा से

(नवीन सिंह तड़ागी)
उप सचिव